भारत सरकार

कौशल विकास और उद्यमशीलता मंत्रालय

लोक सभा

अतारांकित प्रश्न संख्या 935

उत्तर देने की तारीख 29 जुलाई, 2024

सोमवार, 7 श्रावण, 1946 (शक)

कौशल केन्द्र में व्यावहारिक प्रशिक्षण की कमी

935. श्री एस. जगतरक्षकन:

क्या कौशल विकास और उद्यमशीलता मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार इस तथ्य से अवगत है कि कौशल केन्द्र व्यावहारिक प्रशिक्षण के लिए पर्याप्त रूप से सुसज्जित नहीं हैं, जिसके परिणामस्वरूप सैद्धांतिक प्रशिक्षण तो मिलता है लेकिन व्यावहारिक अनुभव बहुत कम मिलता है; और

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है तथा सरकार द्वारा इस संबंध में क्या सुधारात्मक कदम उठाए जाने का प्रस्ताव है ताकि प्रशिक्षण की गुणवत्ता तथा प्रदान किए जा रहे विशेष कौशल का चयन बाजार मानकों के अनुरूप हो?

उत्तर

कौशल विकास और उद्यमशीलता राज्य मंत्री (स्वतंत्र प्रभार)
(श्री जयन्त चौधरी)

(क से ख) कौशल विकास और उद्यमशीलता मंत्रालय (एमएसडीई) भारत सरकार**,** कुशल भारत मिशन (सिम) के अंतर्गत विभिन्न स्कीमों अर्थात प्रधान मंत्री कौशल विकास योजना (पीएमकेवीवाई), जन शिक्षण संस्थान (जेएसएस), राष्ट्रीय शिक्षुता संवर्धन स्कीम (एनएपीएस) और औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थानों (आईटीआई) के माध्यम से शिल्पकार प्रशिक्षण स्कीम (सीटीएस) के अंतर्गत कौशल विकास केंद्रों/संस्थानों के एक व्यापक नेटवर्क के माध्यम से देश भर के समाज के सभी वर्गों को कौशलीकरण, पुनर्कौशलीकरण और कौशलोन्नयन प्रशिक्षण प्रदान करता है। सिम का उद्देश्य भारत के युवाओं को उद्योग प्रासंगिक कौशल से लैस कर भविष्य के लिए तैयार करना है। उपर्युक्त स्कीमों के अंतर्गत कौशल पाठ्यक्रमों में व्यावहारिक और सैद्धांतिक घटक विशेष रूप से निर्धारित किए गए हैं और आकलन भी तदनुसार किया जाता है। पीएमकेवीवाई के अंतर्गत प्रशिक्षण प्रदाताओं का चयन कई कठोर प्रक्रियाओं के माध्यम से किया जाता है। यह सुनिश्चित करने के लिए कि संस्थान कौशल विकास के लिए निर्धारित मानकों को बनाए रख रहे हैं, नियमित अनुवीक्षण, निरीक्षण और आकलन भी किए जाते हैं।

पीएमकेवीवाई स्कीम के पहले चरणों से प्राप्त अनुभव के आधार पर, पीएमकेवीवाई 4.0 के दिशानिर्देशों के अंतर्गत यह प्रावधान किया गया है कि सभी प्रशिक्षण केंद्रों (टीसी) में संबंधित क्षेत्र कौशल परिषदों (एसएससी) द्वारा निर्दिष्ट अनिवार्य उपकरण और मशीनरी होनी चाहिए। बैच के दौरान प्रत्येक जॉब रोल्स के लिए आवश्यक अवसंरचना/औजारों और उपकरणों की अनुपलब्धता के मामले में दंड का प्रावधान है। जेएसएस स्कीम के अंतर्गत गैर-सरकारी संगठनों (एनजीओ) द्वारा लक्षित समूह के आवास के समीप उनके बुनियादी ढांचे में प्रशिक्षण प्रदान किया जाता है। नए जेएसएस की स्वीकृति के समय उपकरणों और अन्य कार्यालय अवसंरचना की खरीद के लिए 20 लाख रुपए की एकमुश्त गैर-आवर्ती अनुदान सहायता प्रदान की जाती है। इसके अलावा, मंत्रालय ने 30 जेएसएस के औजारों और उपकरणों को उन्नत किया है ताकि उन्हें आदर्श जेएसएस के रूप में स्थापित किया जा सके। व्यावहारिक प्रशिक्षण देने के लिए आईटीआई के पास संबंधित ट्रेडों के लिए आवश्यक उपकरणों के साथ अपना स्थायी बुनियादी ढांचा है। औद्योगिक प्रतिष्ठानों में शिक्षुता प्रशिक्षण दिया जाता है।

इसके अलावा, प्रशिक्षण कार्यक्रमों को बाजार की जरूरतों के अनुरूप बनाने तथा शिक्षुओं की नियोजनीयता में सुधार लाने के लिए निम्नलिखित विशेष कदम उठाए गए हैं:

i. कौशल विकास एवं उद्यमशीलता मंत्रालय की स्कीमों के अंतर्गत प्रस्तुत प्रशिक्षण कार्यक्रम बाजार मांग को ध्यान में रखते हुए उद्योगों के सहयोग से विकसित किए जाते हैं। राष्ट्रीय कौशल विकास निगम (एनएसडीसी) द्वारा संबंधित क्षेत्रों में इंडस्ट्री लीडर्स के नेतृत्व में 36 क्षेत्र कौशल परिषदों (एसएससी) की स्थापना की गई है, जिन्हें संबंधित क्षेत्रों की कौशल विकास आवश्यकताओं की पहचान करने के साथ-साथ कौशल दक्षता मानकों को निर्धारित करने का दायित्व सौंपा गया है।
ii. उद्योग 4.0 की आवश्यकता को ध्यान में रखते हुए भविष्य के लिए तैयार जॉब रोलों, ड्रोन, कृत्रिम मेधा (एआई), रोबोटिक्स, मेक्ट्रोनिक्स आदि जैसे उभरते क्षेत्रों को पीएमकेवीवाई 4.0 के तहत प्राथमिकता दी गई है। सीटीएस के तहत भी, उभरती प्रौद्योगिकियों में भावी जॉब रोलों की मांग को पूरा करने के लिए आधुनिक युग के पाठ्यक्रम विकसित किए गए हैं।
iii. तकनीकी और व्यावसायिक शिक्षा और प्रशिक्षण (टीवीईटी) क्षेत्र में गुणवत्ता सुनिश्चित करने के लिए विनियमन और मानक स्थापित करने वाले एक व्यापक नियामक के रूप में राष्ट्रीय व्यावसायिक शिक्षा और प्रशिक्षण परिषद (एनसीवीईटी) की स्थापना की गई है।
iv. एनसीवीईटी द्वारा मान्यता प्राप्त अवार्डिंग निकायों से अपेक्षा की जाती है कि वे उद्योग मांग के अनुसार अर्हताएं विकसित करें और उन्हें श्रम एवं रोजगार मंत्रालय के राष्ट्रीय व्यवसाय वर्गीकरण, 2015 के अनुसार अभिनिर्धारित किए गए व्यवसायों के साथ मैप करें और उद्योग वैधीकरण प्राप्त करें।
v. प्रशिक्षण महानिदेशालय (डीजीटी) लचीली समझौता ज्ञापन और प्रशिक्षण की दोहरी प्रणाली (डीएसटी) को कार्यान्वित कर रहा है। इन पहलों का उद्देश्य आईटीआई छात्रों को औद्योगिक वातावरण में प्रशिक्षण प्रदान करना है।
vi. राष्ट्रीय कौशल अर्हता ढांचा (एनएसक्यूएफ) से सम्बद्ध पाठ्यक्रमों में कार्यालयीन प्रशिक्षण (ओजेटी) और रोजगारपरक कौशल के घटक भी शामिल हैं।

vii. डीजीटी ने कॉरपोरेट सामाजिक उत्तरदायित्व (सीएसआर) पहल के अंतर्गत राज्य और क्षेत्रीय स्तर पर संस्थानों के लिए उद्योग संपर्क सुनिश्चित करने के लिए आईबीएम, सिस्को, फ्यूचर स्किल राइट्स नेटवर्क (पूर्ववर्ती क्वेस्ट अलायंस), अमेज़न वेब सर्विसेज (एडब्ल्यूएस) और माइक्रोसॉफ्ट जैसी आईटी टेक कंपनियों के साथ समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए हैं।

viii. बाजार आधारित कार्यक्रम के अंतर्गत एनएसडीसी उन प्रशिक्षण प्रदाताओं को सहायता प्रदान करता है जो उद्योग-मांग के साथ कौशल पाठ्यक्रमों को संरेखित करते हैं और उनमें सहभागिता करते हैं।

ix. एनएपीएस के अंतर्गत शिक्षुता प्रशिक्षण और शिक्षुता कार्यक्रमों को शुरू करने के लिए औद्योगिक प्रतिष्ठानों के साथ संपर्क को बढ़ावा दिया जाता है।

x. भारत सरकार ने इन देशों में मांग के साथ कौशल को संरेखित करने के लिए दस देशों अर्थात यू.के.; फ्रांस, जर्मनी, इजरायल, ताइवान, ऑस्ट्रिया, मॉरीशस, ऑस्ट्रेलिया, पुर्तगाल और फिनलैंड के साथ प्रवासन और मोबिलिटी समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं।

xi. भारत सरकार ने विदेशों के लिए कुशल श्रमिकों की मांग को पूरा करने के लिए 30 कौशल भारत अंतर्राष्ट्रीय केंद्र स्थापित करने की घोषणा की है।

*****